अतः इस पत्रावली से संबंधित ...
द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत
केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र ......
पर आयंदा दिनांक 8/6/2017 ...... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं. 4592/2015 रूपाराम बनामः स्व.दला के का.मु.– हंसाराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट,1955 एवं सपठित आदेश–39, नियम–1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.

दिनांक 08.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र खिमाडा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की मंशा के अनुरूप सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार व साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2030–33, जमाबंदी संवत् 2066–69, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा–ट्रेस इत्यादिं पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि प्रश्नगत् मामले में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल वाद पत्रावली रा.वा. 60/2012 के निर्णय होने तक दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए यथावत् बनाए रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों

लगातार—

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स ...
	राजस्व विविध सं. 4592/2015 रूपाराम बनामः स्व.दला के का.मु.– हंसाराम वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट,1955 एवं सपठित आदेश–39, नियम–1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी. ——— के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खांगडी, पटवार सर्कल खिमाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नंबर 100, 109, 101, 104, 105, 106, 111/345 व 115 के बारे में वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति को संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 60/2012 के निस्तारण होने तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे। यह आदेश बरोज आज दिनांक 08.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र खिमाडा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल वाद पत्रावली राजस्व वाद सं. 60/2012 के साथ नत्थी हो। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner